न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या-394/2017

राज्य प्रति राजेन्द्र खटिक व अन्य

आरोप

मैं चन्द्र मौलि शुक्ल, सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर आप अभियुक्तगण 1- राजेन्द्र खटिक, 2- लालजी खटिक, 3- रामशीष एवं 4- दिनेश को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 02.07.2015 को समय करीब 17.00 बजे, बहद ग्राम-महुअवा दहाउर छोटका टोला, थाना-रामकोला, जनपद कुशीनगर में आपलोगों ने जमीनी विवाद व पुरानी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा लल्लन खटिक की माता आरती देवी को लाठी, डण्डा व लोहे के राड से मार-पीट कर साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आपलोगों ने ऐसा कृत्य किया, जो भा०द०सं० की धारा 323/34 के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपलोगों ने जमीनी विवाद व पुरानी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा की माता आरती देवी को माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियाँ देकर प्रकोपित एवं अपमानित किया, जिससे शान्ति भंग की आशंका उत्पन्न हो गयी। इस प्रकार आपलोगों ने ऐसा कृत्य किया, जो भा०द०सं० की धारा 504 के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपलोगों ने जमीनी विवाद व पुरानी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा की माता आरती देवी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपलोगों ने ऐसा कृत्य किया, जो भा०द०सं० की धारा 506 के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपलोगों को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपलोगों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 13.10.2017

(चन्द्र मौलि शुक्ल)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना किया।

दिनांक 13.10.2017

(चन्द्र मौलि शुक्ल)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या-394/2017

राज्य प्रति राजेन्द्र खटिक व अन्य

<u>13.10.2017</u>

पत्रावली पेश की गयी। अभियुक्तगण राजेन्द्र खटिक, लालजी खटिक, रामशीष एवं दिनेश मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) भी उपस्थित हैं।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं०, मेडिकल रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा-नजरी आदि प्रपत्रों से अभियुक्तगण राजेन्द्र खटिक, लालजी खटिक, रामशीष एवं दिनेश के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506 भा०द०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर विद्यमान है। अतः उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाय।

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।

अभियुक्तगण राजेन्द्र खटिक, लालजी खटिक, रामशीष एवं दिनेश को अन्तर्गत धारा 323/34, 504, 506 भा०द०सं० के दण्डनीय अपराध में आरोपित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की। अतएव अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि वे तथ्य के समस्त साक्षियों पर तामीला सुनिश्चित कराते हुये साक्ष्य की नियत तिथि को उन्हें प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक   को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।